भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2998
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायालय परिसरों में अवसंरचना

2998. सुश्री सयानी घोष :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में न्यायालय परिसरों में महिलाओं के लिए पृथक शौचालय, पृथक रिकॉर्ड रूम, पुस्तकालय और चिकित्सा सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए उपाय और मूलभूत अवसंरचना में सुधार के लिए राज्यों को जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केवल 27 प्रतिशत न्यायालय कक्षों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कम्प्यूटर लगाए गए हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालांकि, राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) को लागू कर रही है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच विहित फंड-शेयरिंग पैटर्न में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अधीन पांच घटक अर्थात, वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए न्यायालय कक्ष, आवासीय इकाइयाँ, वकीलों के कक्ष, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष सम्मिलित हैं । महिलाओं के लिए अलग शौचालय, अलग रिकॉर्ड रूम, पुस्तकालय और चिकित्सा सुविधाओं आदि की राज्यवार उपलब्धता का डेटा केंद्रीय रूप से संकलित नहीं किया जाता है।

1993-94 में प्रारंभ से न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन आज तक 11,758 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। स्कीम के अधीन अब तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 21,977 न्यायालय भवन तथा 19,697 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 3,165 न्यायालय भवन तथा 2,618 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियों का विवरण **उपाबंध** पर दिया गया है।

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग भी भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ निकट समन्वय में संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से ई-न्यायालय परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक) ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन 2457.31 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। न्याय को सभी के लिए सुलभ और उपलब्ध बनाने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय/ई-पहल की गई हैं: -

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्युएएन**)** परियोजना के अधीन, भारत भर में कुल न्यायालय परिसरों में से 99.5% को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ संयोजकता प्रदान की गई है।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक ऑकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय परियोजना के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादी, मामले की जानकारी और 27.64 करोड़ से अधिक आदेश/निर्णय (आज की तारीख तक) तक पहुँच सकते हैं।

iii. कस्टमाइज्ड फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस**)** पर आधारित मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस**)** विकसित किया गया है। वर्तमान में जिला न्यायालयों में सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2 लागू किया जा रहा है और उच्च न्यायालयों के लिए सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 लागू किया जा रहा है।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, अधिवक्ताओं/वादियों को मामला स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए एसएमएस पुश और पुल (प्रतिदिन 4 लाख से अधिक एसएमएस भेजे जाते हैं), ईमेल (प्रतिदिन 6 लाख से अधिक भेजे जाते हैं), बहुभाषी ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (31.10.2024 तक कुल 2.69 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (31.10.2024 तक 20,719 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक मामला मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं।

v. 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में यातायात चालान मामलों को निपटाने के लिए वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं। इन वर्चुअल न्यायालयों द्वारा **6** करोड़ से अधिक मामले **(**6,00,29,546) निपटाए गए हैं और 62 लाख **(**62,97,544) से अधिक मामलों में 31.10.2024 तक 649.81 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूला गया है।

vi. अधिवक्ताओं के लिए किसी भी स्थान से 24X7 मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचने और अपलोड करने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0**)** शुरू किया गया है।

vii. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए फीस के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का विकल्प आवश्यक है, जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और शास्ति सम्मिलित हैं, जो सीधे समेकित निधि में देय हैं। इसलिए फीस आदि के परेशानी मुक्त अंतरण के लिए ई-भुगतान प्रणाली शुरू की गई।

viii. डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए, अधिवक्ताओं और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला न्यायालयों में 1394 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) और उच्च न्यायालयों में 36 ई-सेवा केंद्र (सुविधा केंद्र) शुरू किए गए हैं। यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक तारणहार के रूप में कार्य करता है जो तकनीक का खर्च नहीं उठा सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में भी

सहायता करता है। ये देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग, वर्चुअल रीति से सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि की सुविधा प्रदान करके समय की बचत, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और लागत बचाने में भी लाभ प्रदान करते हैं।

ix. प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया सेवा और समन जारी करने के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है।

x. न्यायपीठ, मामला टाइप, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायधीश का नाम, अधिनियम, धारा, विनिश्चय: तारीख से लेकर तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज, जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल शुरू किया गया है। यह सुविधा सभी को मुफत प्रदान की जा रही है।

ई-न्यायालय चरण III (2023-2027) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2023 में ₹7,210 करोड़ की लागत के साथ मंजूरी दी गई है, जो चरण **II** के लिए वित्त पोषण से चार गुना अधिक है। परियोजना में विभिन्न नई डिजिटल पहलों की परिकल्पना की गई है जैसे डिजिटल और पेपरलेस न्यायालयों की स्थापना, जिसका उद्देश्य न्यायालयों की कार्यवाही को डिजिटल रूपविधान में लाना, न्यायालयों के अभिलेख (विरासत अभिलेख और लंबित मामले दोनों) का डिजिटलीकरण, न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार, यातायात उल्लंघन के निर्णयों से परे ऑनलाइन न्यायालयों का दायरा, सभी न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केंद्रों की संतृप्ति, डिजिटल न्यायालयों के अभिलेख, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, लाइव स्ट्रीमिंग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि को आसानी से प्राप्त करने और उनका समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा संग्रह, लंबित मामलों के विश्लेषण, भविष्य के मुकदमों का पूर्वानुमान लगाने आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) जैसे इसके उप-समूहों का उपयोग। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने के सरकार के प्रयास ई-न्यायालय चरण **III** में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जिससे देश के सभी नागरिकों के लिए न्यायालय के अनुभव को सुविधाजनक, सस्ता और परेशानी मुक्त बनाकर न्याय में आसानी सुनिश्चित हो सकेगी। ई-न्यायालय चरण III के अधीन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 825 करोड़ रुपये की रकम आबंटित की गई तथा 768.25 करोड़ रुपये (93.11%) उपगत किए गए। वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान बजट अनुमान (बीई) में 1500 करोड़ रुपये का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से 1232.19 करोड़ रुपये पहले ही विभिन्न उच्च न्यायालयों को जारी किए जा चुके हैं।

(ग) : कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी, क्योंकि सामूहिक तरीके से भौतिक सुनवाई और सामान्य न्यायालय कार्यवाही संभव नहीं थी। वीसी के संचालन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया गया, जिसने वीसी के माध्यम से की जाने वाली न्यायालय सुनवाई को विधिक पवित्रता और विधिमान्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की समिति द्वारा वीसी नियम तैयार किए गए, जिन्हें स्थानीय संदर्भ के बाद अपनाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को प्रसारित किया गया। ये भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मद्रास उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को अपनाया है। मद्रास उच्च न्यायालय के अपने स्वयं के वीसी नियम हैं, जो पहले प्रसारित नियमों के समान हैं।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण I के दौरान, 488 न्यायालय परिसरों और 342 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा चालू की गई है। ई-न्यायालय परियोजना के चरण II में, तालुक स्तर की न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों में एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंस उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वी.सी. उपकरणों के लिए निधियां स्वीकृत की गई है। 2506 वी.सी. केबिन स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई है। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वी.सी. सुविधाएं पहले से ही सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, चरण III के अधीन,

228.48 करोड़ रुपये की लागत से 500 जेलों, 700 जिला सरकारी अस्पतालों और 9000 न्यायालयों सहित 10200 स्थापनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपलब्ध बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उन्नत करने का उपबंध है।

(घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

उपाबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2998 जिसका उत्तर तारीख 13.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।
केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रू में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2019-20 में जारी किए गए	2020-21 में जारी किए गए	2021-22 में जारी किए गए	2022-23 में जारी किए गए	2023-24 में जारी किए गए	2024-25 में जारी किए गए
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0.17	0.35	0.46	0.00	0.49	0.00
2	आन्ध्र प्रदेश	2.69	5.00	4.09	32.38	0.00	6.24
3	अरुणाचल प्रदेश	20.00	10.28	0.00	22.50	49.82	0.00
4	असम	36.54	25.00	27.40	25.00	40.00	19.10
5	बिहार	87.62	65.72	0.00	0.00	67.45	77.97
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	19.83	7.84	0.00	60.00	6.69	34.35
8	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	48.52	45.00	30.00	0.00	0.00	16.50
11	गोआ	4.06	3.80	3.20	25.00	1.53	3.52
12	गुजरात	16.49	13.50	0.00	6.22	95.62	25.67
13	हरियाणा	14.06	22.00	0.00	0.00	20.10	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	5.72	5.50	0.00	0.00	6.00	13.62
15	जम्मू-कश्मीर	15.00	6.65	20.00	12.60	12.00	31.50
16	झारखंड	13.74	9.05	6.00	16.51	40.81	0.00
17	कर्नाटक	44.04	29.72	27.00	82.01	133.16	18.43
18	केरल	15.82	13.00	50.00	0.00	7.00	15.89
19	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	5.50
20	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	मध्य प्रदेश	66.90	45.60	55.00	125.00	104.00	36.40
22	महाराष्ट्र	61.09	23.11	18.00	100.00	119.53	95.16
23	मणिपुर	9.66	5.00	0.00	12.85	0.00	3.71
24	मेघालय	22.85	7.71	28.02	50.00	33.72	33.79
25	मिजोरम	5.24	5.00	9.50	0.00	8.86	3.77
26	नागालैंड	3.42	5.00	13.27	0.00	4.39	2.00
27	ओडिशा	35.69	0.00	0.00	31.49	30.88	34.48
28	पुड्डुचेरी	3.31	0.00	0.00	9.55	0.00	0.00
29	पंजाब	39.78	16.48	16.50	12.50	18.42	0.00
30	राजस्थान	64.21	29.90	41.50	71.66	80.41	32.30
31	सिक्किम	2.78	2.95	0.00	2.27	2.70	0.00
32	तमिलनाडु	38.71	18.17	35.66	133.85	0.00	61.27
33	तेलंगाना	5.65	16.00	0.00	26.61	0.00	0.00
34	त्रिपुरा	18.82	7.74	0.00	0.00	40.49	20.00
35	उत्तर प्रदेश	169.66	111.00	219.00	0.00	102.96	174.12
36	उत्तराखंड	28.50	5.86	80.00	0.00	13.75	46.14
37	पश्चिमी बंगाल	61.43	31.07	0.00	0.00	18.00	22.22
कुल		**982.00**	**593.00**	**684.60**	**858.00**	**1060.18**	**833.65**

****